

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी

1. पृष्ठभूमि:

प्रत्येक कंपनी को जिसका निवल कारोबार 500 करोड़ रुपए या वार्षिक टर्नओवर रु.1,000 करोड़ या निवल लाभ रु.5 करोड़ चालू वित्त वर्ष से तुरंत पहले है को कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 135 के अनुसार अपने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों के लिए खर्च करना है जैसाकि उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित किया गया है.

2. सीएसआर पॉलिसी का उद्देश्य:

- बिना मौद्रिक लाभ की मांग किए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करना जो समाज को बड़े पैमाने पर सकारात्मक रुप से प्रभावित करता है.
- स्वास्थ्य, कुपोषण, पर्यावरण, शिक्षा, कौशल विकास, समुदायों और समाज में सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव को प्रोत्साहित करना.

3. सीएसआर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अवलोकन.

सीएसआर, कंपनी में एक लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता है और हमारी गितविधियों का अभिन्न अंग है. जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के कारण कंपनी बड़े पैमाने पर समाज के प्रति अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है. अपने दृष्टिकोण के अनुसार कंपनी हमेशा अपने हितधारकों के संवर्धन हेतु अपने व्यावसायिक लक्ष्यों से आगे बढ़ कर और समुदाय की भलाई की दिशा में कार्य करने को तत्पर रहती है. सामाजिक क्षेत्र के विकास में कई अग्रणी हस्तक्षेप शामिल हैं और इसका कार्यान्वयन कंपनी के हितधारकों और व्यापक समुदाय की भागीदारी के माध्यम से किया गया है.

पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित की है. इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण, अस्पतालों को स्वास्थ्य संबंधी उपकरण उपलब्ध करवाना, देश के आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों का कौशल विकास, दोपहर के भोजन के माध्यम से पोषण संबंधी कार्यक्रम, गरीबी, भूख और कुपोषण इत्यादि को दूर करने का प्रयास करना शामिल है. कंपनी का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय रुप से अर्थपूर्ण सहयोग करना है. कंपनी विकास की दिशा में सक्षम वातावरण बनाने में काम करती है ताकि नागरिकों को अपने अर्थपूर्ण



जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिल सके. कंपनी का लक्ष्य विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना है ताकि समुदाय की भलाई और समय के साथ लाभान्वित हो सके. कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी (सीएसआर पॉलिसी) कंपनी की सीएसआर

गतिविधियों की रुपरेखा को निर्देशित करती है. पॉलिसी उन नियमों को भी निर्धारित करती है जिन्हें सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित करने के दौरान आवश्यकता होती है.

4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी का दायरा.

पॉलिसी अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में कंपनी द्वारा ली गई या प्रस्तावित की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित है. यह पॉलिसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उससे संबंधित नियमों और अनुसूचियों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी जिसमें समय-समय पर संशोधन शामिल है.

5. गवर्नेंस संरचना

ए. प्रबंधन स्तर की समिति:

कंपनी समिति का गठन करेगी जिसमें कम से कम 3 महाप्रबंधक होंगे. समिति में :

- i. सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रयोजनाओं को चिन्हित और अनुमोदित करेगी.
- ii. प्रत्येक गतिविधि हेतु आवश्यक खर्च की राशि का अनुमान लगाएगी.
- iii. प्रत्यायोजित प्राधिकारी के दायरे में आनेवाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगी.
- iv. सीएसआर कार्यान्वयन का अवलोकन करते हुये कंपनी का संस्थान में या बाहर कार्यसूची की स्थिरता देखेगी जैसे आंतरिक के साथ-साथ बाहरी हितधारकों का संरक्षण.
- V. सीएसआर कार्यान्वयन और स्थिरता में हो रही प्रगति के संबंध में रिपोर्ट तिमाही आधार पर मण्डल स्तर की समिति को प्रस्तुत करना.
- vi. कंपनी की सीएसआर पॉलिसी की निगरानी और वार्षिक समीक्षा करना.
- vii. प्रबंधन स्तर की समिति खर्च के साथ-साथ परियोजना की समय रूप-रेखा की संस्तुति भी करेगी कि क्या सीएसआर समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना समयानुरूप आगे बढ़ रही है या नहीं.

बी. सीएसआर समिति:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर समिति) गवर्निंग इकाई है जो कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के दायरे को परिभाषित करती है और इसका पॉलिसी के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करती है. सीएसआर समिति में तीन या अधिक निदेशक शामिल हों जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हों.

सीएसआर समिति करेगी:



- i. मण्डल को कोई भी सीएसआर परियोजना को चिन्हित और संस्तुत करें
- ii. सीएसआर पॉलिसी को सुविन्यासित करे और यदि कोई संशोधन आवश्यक है तो इसकी संस्तुति मण्डल को करे;
- iii. अधिनियम में विनिर्दिष्ट के अनुसार कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को चिन्हित करना;
- iv. मण्डल को वार्षिक सीएसआर योजना और बजट की समीक्षा और संस्तुति;
- v. समय-समय पर सीएसआर गतिविधियों की निगरानी और सीएसआर पॉलिसी के साथ अनुपालन;और
- vi. यदि अवशयक है तो समीक्षा और कार्यान्वयन, सीएसआर पहल से संबंधित अन्य कोई मामला.
- vii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर तिमाही में कम से कम एक बार समिति बैठक करेगी.

सी. निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल करेगा:

- i. सीएसआर समिति की संस्तुति पर आधारित सीएसआर पॉलिसी का अनुमोदन;
- ii. सीएसआर गतिविधियों और वार्षिक सीएसआर योजना और सीएसआर समिति की संस्तुति पर आधारित सीएसआर बजट का अनुमोदन; और
- iii. सीएसआर पॉलिसी और सीएसआर गतिविधियो की समीक्षा.

6. वित्तीय

ए. वार्षिक सीएसआर बजट

कंपनी अधिनियम, 2013 के परिदृश्य में और इसमें किए गए संशोधनों के अनुरुप कंपनी पिछले निरंतर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% सीएसआर बजट के लिए चिन्हित करेगी.

बी. प्रशासनिक खर्च

प्रशासनिक खर्च शीर्ष में वित्तीय वर्ष में कंपनी के समस्त सीएसआर खर्च पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए.

सीएसआर के लिए बुक की गई अधिकतम राशि जिसे सीएसआर खर्च के रूप में प्रभावी आकलन के बाद रखा गया है वह उस वित्तीय वर्ष में कुल सीएसआर खर्च का पाँच प्रतिशत या पचास लाख रुपए,



जो भी कम हो होना चाहिए.

सी. सीएसआर गतिविधियों के कारण उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई है तो

सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष कंपनी के कारोबारी लाभ का अंश स्वरूप नहीं होना चाहिए, और नहीं सीएसआर गतिविधियों हेतु खर्च किया जाना चाहिए (नहीं एक ही समान परियोजना पर या सीएसआर पॉलिसी के अनुपालन और कंपनी की वार्षिक कार्य योजना), या नहीं ऐसे अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: माह की अवधि के अंदर अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित कर सकते हैं.

7. प्रचालन ढांचा

- सीएसआर समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाएगा. सीएसआर समिति द्वारा वार्षिक सीएसआर योजना तैयार की जाएगी और संस्तुतियों के आधार पर निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी.
- 2. कंपनी द्वारा जिन गतिविधियों की पहल की जाएगी वह प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा कार्यान्वित होंगी या कंपनी के (सीएसआर) नियमावली 2014 (जैसे अनुभाग 8 कंपनी पंजीकृत न्यास, पंजीकृत सोसायटी इत्यादि) अप्रत्यक्ष रूप से जिन इकाइयों (कार्यान्वयन एजेंसियों) को इस की अनुमित दी है. पंजीकरण हेतु जो भी आवश्यकताएँ हैं वे कंपनी की (सीएसआर) नियमवाली, 2014 के नियम 4(1) में वर्णित किया गया है जिसका अग्रिम ध्यान आपको सीएसआर पंजीकरण संख्या और आयकर पंजीकरण के संबंध में रखना है.
- कंपनी अन्य कंपनियों के साथ मिल कर भी कार्य कर सकती है जो ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों हेतु कार्य करती हैं.
- 4. कार्यान्वयन एजेंसियां अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी. ऐसी प्रविष्टियों और परियोजनाओं का समर्थन एजेंसी की साख और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के ट्रेक रिकॉर्ड सुनिश्चित हो जाने के बाद ही होगा.
- वार्षिक योजना में निम्नलिखित शामिल होगा :
 - अधिनियम और संबन्धित नियम जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, के अनुसार सीएसआर की निर्धारित रूपरेखा;
 - ii. वर्ष के दौरान प्रस्तावित प्रमुख सीएसआर गतिविधियां ली जाएंगी जिसमें अधिनियम और उससे संबन्धित नियम जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं के अनुसार सीएसआर की पात्रता के वर्गीकरण का विश्लेषण शामिल है और साथ ही सीएसआर पॉलिसी और उसके कार्यान्वयन कार्यक्रम इसके अनुरूप हो;
 - iii. कर्मचारी लागत साइट प्रत्येक गतिविधि पर प्रस्तावित रूपरेखा जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रशासनिक शीर्षों पर खर्च भी शामिल हों:



- iv. परियोजनाओं या कार्यक्रमों हेतु कार्यान्वयन अनुसूची;
- v. परियोजनाओं या कार्यक्रमों हेतु निगरानी और रिपोर्टिंग तकनीक;
- vi. कंपनी द्वारा ली गई परियोजनाओं हेतु यदि कोई है तो आवश्यकता और प्रभाव आकलन का विवरण;
- vii. कंपनी द्वारा प्रत्यक्षत: की जाने वाली गतिविधियां
- viii. अन्य संस्थानों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां और ऐसे संस्थानों में दि न्यू इंडिया एश्योरंस का योगदान; और
 - ix. गत वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित पूर्ण रूपरेखा और इसमें कमी के कारण.
- 6. निधि का वितरण किश्तों में या एक मुश्त भुगतान के रूप में किया जाएगा. संवितरण के नियम, शर्तें और समय सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम की प्रकृति और आवश्यकता पर सशर्त होगा.

8. निगरानी

- 1. सीएसआर समिति सीएसआर गतिविधियों हेतु पारदर्शी निगरानी तकनीक सुनिश्चित करेगी.
- 2. सीएसआर गतिविधियों में प्रगति की समीक्षा वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी जिसमें सीएसआर समिति द्वारा वार्षिक समीक्षा भी शामिल होगी.
- 3. तिमाही आधार पर सीएसआर गतिविधियों के खर्चों की निगरानी हेतु मुख्य वित्तीय अधिकारी उत्तरदायी होगा.
- 4. सीएसआर समिति और मण्डल सीएसआर खर्चों की निगरानी तिमाही आधार पर करेगा.
- 5. निदेशक मण्डल सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा कम से कम वार्षिक रूप से करेगा.
- 6. चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का मण्डल परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आबंटन के संदर्भ में करेगा.
- 7. प्रभाव आकलन : रुपये एक करोड़ या उससे अधिक वाली सभी परियोजनाओं की रूपरेखा और जो पिछले वित्तीय वर्ष में पूरी हो गई है वह तत्कालीन वित्तीय वर्ष में स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रभाव आकलन के अध्याधीन होंगी.
- 8. प्रभाव आकलन की रिपोर्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसे सीएसआर रिपोर्ट के साथ संलग्न भी किया जाना चाहिए.
- 9. कंपनी के (सीएसआर) नियमावली 2014 के नियम 8(3) के अनुसार प्रभाव आकलन, जैसा कि,जब भी और जैसा लागू होगा, कंपनी द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा:
 - प्रत्येक कंपनी के पास औसतन दस करोड़ रुपए या उससे अधिक का सीएसआर दायित्व अधिनियम के अनुभाग 135 की उपधारा(5) के अनुसरण में है तो तत्कालीन पिछले तीन वर्षों के लिए स्वतंत्र एजेंसी से अपनी सीएसआर परियोजनाओं जिनकी रूपरेखा रुपए एक करोड़ या उससे अधिक है जिन्हें प्रभाव अध्ययन शुरू करने से एक वर्ष से कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता है, हेतु प्रभाव आकलन करवाएगा.



- प्रभाव आकलन रिपोर्ट मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न भी की जाएगी.
- कंपनी प्रभाव आकलन को उस वित्तीय वर्ष के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तदायित्व शीर्ष में होने वाले खर्चों के अंतर्गत जोड़ेगी जोकि उस वित्तीय वर्ष हेतु सीएसआर खर्च का पाँच प्रतिशत या पचास लाख रुपये, या जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा.

9. प्रकटन

कंपनी की मंडल रिपोर्ट में सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट भी शामिल होगी जिसमें कंपनी की (सीएसआर) नियमावली 2014 के समय-समय पर संशोधित के अनुसार परिशिष्ट -2 में विनिर्दिष्ट विवरण शामिल हैं.

10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां

दि न्यू इंडिया एश्योरंस द्वारा सीएसआर गतिविधियों हेतु प्रमुख केंद्रित क्षेत्र हैं:

- 1. स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें स्वास्थ्य देखभाल निवारण भी शामिल है.
- 2. गरीबी, भूख और कुपोषण का उन्मूलन.
- 3. स्वच्छ और हरित उर्जा स्वच्छता और सुरक्षित पीने के पानी को बढ़ावा देना.
- 4. आर्थिक रुप से पिछड़ों वर्गों की आजीविका में वृद्धि और रोजगार सृजन, जिनमें महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं.
- 5. शिक्षा देना और कौशल विकास जिसमें आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए व्यवसायिक कौशल और रोजगार सूजन शामिल है.
- 6. पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण के पक्ष में चलाई गई परियोजनाएं जिनमें मिट्टी, वायु, पानी और वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण शामिल है.
- 7. राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण और पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देना.
- 8. ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल
- 9. सशस्त्र बलों के दिग्गजों युध्द में शहीद की विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय.
- 10. ग्रामीण विकास परियोजनाएं
- 11. स्लम एरिया का विकास (स्लम एरिया से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी ने किसी भी प्रभावी कानून के अंतर्गत घोषित किया हो.)
- 12. आपदा प्रबंधन जिसमें राहत, पुनर्वास और पुननिर्माण गतिविधियां शामिल है.



- 13. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 8 में योगदान या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति कोष (पीएम केयर फंड) या सामाजिक आर्थिक विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य निधि और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों, अल्प संख्यकों और महिलाओं के लिए राहत और कल्याण के लिए.
- 14. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान.
- 15. सार्वजिनक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योगदान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएफएस), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों की स्थापना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी),विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्युटिकल विभाग, आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय और अन्य निकायों प्रमुखत: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), की भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)को बढ़ावा देने के उद्देश से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हों, तथा
- 16. कोई और अन्य मामले जो समय-समय पर निर्धारित किए जाते हों.

निम्नलिखित सीएसआर पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाएगा :

सीएसआर पॉलिसी में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

- 1. वे गतिविधियां जिन से कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार को लाभ हो;
- 2. वे गतिविधियां जो कंपनी के सामान्य कारोबार के दौरान पालन में लाई जाती हैं;
- 3. भारत के बाहर आयोजित गतिविधियां;
- 4. अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी राशि का अंशदान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष:
- 5. कोई भी ऐसी घटना जैसे मैराथन/अवार्ड/धर्मार्थ अंशदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक;
- 6. कंपनियों द्वारा किसी अन्य अधिनियम की पूर्ति के लिए उपगत खर्च/नियमों का विधान (जैसे श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, अप्रेंटिस अधिनियम, 1961, इत्यादि)
- 7. एमसीए द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई मामला सीएसआर गतिविधि से हटा दिए जाएँ , उन्हें सीएसआर गतिविधि का हिस्सा न बनाया जाए.



"दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड में सीएसआर कार्यान्वयन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)" निम्नलिखित लिंक पर संलग्न है:

https://www.newindia.co.in/cms/96b89200-46c0-4a66-83c3-966c427bb3f4/Standard%20Operating%20Procedures(SOP).pdf?guest=true



ANNEXURE - I

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED

Corporate Social Responsibility Policy

I. Background:

Section 135 of the Companies Act, 2013 provides that every company which either has a net worth of Rs 500 crore or a turnover of Rs. 1,000 crore or net profit of Rs 5 crore, during the immediately preceding financial year, needs to spend at least 2% of its average net profit for the immediately preceding three financial years on Corporate Social Responsibility activities as set out in Schedule VII to the said Act.

II. Objectives of CSR Policy:

- Strive for economic and social development that positively impacts the society at large, without seeking any commensurate monetary benefits.
- Encourage a positive impact through its CSR Activities on health, malnutrition, environment, education, skill development, communities and the society.

III. An overview of our Commitment towards CSR

CSR has been a long-standing commitment in the Company and forms an integral part of our activities. Being a responsible corporate citizen, Company is committed to perform its role towards the society at large. In alignment with its vision, the Company always work towards adding value to its stakeholders by going beyond business goals and contributing to the well-being of the community. Its contribution to social sector development includes several pioneering interventions, and is implemented through the involvement of stakeholders within the Company and the broader community.

Over the last few years Company has developed significant projects in specific areas. These include building toilets in various parts of the country, providing healthcare equipment to hospitals, skill development of the economically backward classes of the country, nutritional programs via mid-day meals, striving towards eradicating poverty, hunger and malnutrition etc. Company's objective is to pro-actively support meaningful socio-economic development. The Company works towards developing an enabling environment that will help citizens realize their aspirations towards leading a meaningful life. The Company aims to identify critical areas of development contributing to the well-being of the community and benefitting them over a period of time.

The Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) of the Company sets out the framework guiding the Company's CSR activities. The Policy also sets out the rules that need to be adhered to while taking up and implementing CSR activities.

IV. Scope of Corporate Social Responsibility policy

THE ASSISTANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई (प्र.का.) THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD. MUMBAI (H.O.)

The policy would pertain to all activities undertaken or proposed to be undertaken, by the Company towards fulfilling its corporate social responsibility objectives. The policy would also ensure compliance with section 135 of the Companies Act, 2013 and the relevant rules and schedules, made thereunder, including any amendment from time to time.

V. Governance structure

A. Management level Committee:

The Company shall have a Committee consisting of at least 3 General Managers. The Committee shall:

- i. Identify and approve the projects for CSR activities.
- ii. Estimate the amount of expenditure needed on each of the activities.
- iii. Implement projects which fall within its delegated authority.
- iv. Oversee the implementation of CSR and Sustainability agenda of the company within the organization and also outside i.e. covering internal as well as external stakeholders.
- v. Submit reports regarding the progress in the implementation of CSR and Sustainability activities to the Board level CSR Committee on quarterly basis.
- vi. Monitor the CSR Policy of the company and review it annually.
- vii. The Management Level Committee shall also recommend along with the expenditure, the timelines for the project, to enable the CSR Committee to decide whether a project would be ongoing or not

B. CSR Committee:

The Corporate Social Responsibility Committee (CSR Committee) is the governing body that will define the scope of CSR activities for the Company and ensure compliance with the Policy. The CSR Committee would comprise of three or more Directors including at least one independent Director.

The CSR Committee shall:

- i. Identify and recommend any CSR project to the Board
- ii. Formulate the CSR policy and recommend to the Board and any amendmentsthere to;
- iii. Indicate the activities to be undertaken by the Company as specified in the Act;
- iv. Review and recommend the annual CSR plan and budget to the Board;
- Monitor the CSR activities and compliance with the CSR policy from time to time; and
- vi. Review and implement, if required, any other matter related to CSR initiatives.
- vii. The Committee shall meet at least once every quarter in every financial



year.

C. Board of Directors

The Board of Directors shall:

- Approve the CSR Policy based on the recommendation of the CSR Committee;
- Approve the CSR activities and annual CSR plan and CSR Budget based on the recommendation of the CSR Committee; and
- iii. Review the CSR Policy and CSR activities

VI. Financials

A. Annual CSR Budget

In alignment with The Companies Act, 2013 and amendments made thereunder, the Company shall earmark as CSR Budget of at least 2% of the average of net profits of the company made during the three immediately preceding financial years.

B. Administrative Expenses

The administrative overheads shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company for the financial year.

The maximum amount which may be booked towards CSR, for expenditure undertaken on Impact Assessment is five percent of the total CSR expenditure for that financial year or fifty lakh rupees, whichever is less.

C. Surplus if any arising out of CSR activities

Surplus if any arising out of CSR activities shall not form part of the business profit of company, and be spent on CSR Activities (ether on the same project or in pursuance of CSR policy and annual action plan of the company), or otherwise transfer such surplus amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

VII. Operating framework

- CSR activities will be undertaken in areas identified by the CSR Committee. An annual CSR plan shall be prepared by/formulated by the CSR Committee and, based on its recommendations placed before the Board of Directors for their approval.
- 2. Activities undertaken by the Company may be implemented directly by the



Company or indirectly through the permitted entities (implementing agencies) under Rule 4(1) of the Company's (CSR) Rules,2014 (i.e Sec 8 company, registered trust, registered society, etc). The registration requirements as laid down in Rule 4(1) of the Company's (CSR) Rules, 2014 with respect to CSR Registration Number & Income Tax registrations, shall be ascertained in advance.

- 3. The company may work in Collaboration with other Companies for undertaking projects or programmes or CSR activities.
- 4. Implementing agencies shall comply with the requirements of the Act. Such entities and projects shall be supported after ascertaining the credibility of the agency and its track record in implementing projects. The entity shall at least have a track record of three years in implementing such projects.
- 5. The annual plan shall incorporate the following:
 - The prescribed outlay on CSR as per the Act and related rules as amended from time to time;
 - ii. Key CSR activities proposed to be undertaken during the year, including analysis of their eligibility for classification as CSR under the Act and related rules as amended from time to time, their conformity with the CSR Policy and their implementation schedules;
 - iii. Proposed outlay on each activity including expenditure on administrative overheads both directly and indirectly including employee costs;
 - iv. Implementation schedules for the projects or programmes;
 - v. Monitoring and reporting mechanism for the projects or programmes
 - vi. Details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company
 - vii. Activities to be undertaken by the Company directly;
 - viii. Activities to be undertaken by other entities and The New India Assurance's contribution to such entities; and
 - ix. Aggregate proposed outlay and reasons for shortfall, in the previous financial year.
- 6. Funds would be disbursed either in tranches or as one-time payment. The terms, conditions and timing of disbursement would be conditional upon the nature and requirement of the CSR project or program.

VIII. Monitoring

- 1. The CSR Committee shall ensure a transparent monitoring mechanism for CSR activities.
- 2. The progress of the CSR activities shall be reviewed at least twice a year, including the annual review by the CSR Committee.
- 3. The Chief Financial Officer shall be responsible for monitoring expense on CSR activities, on a quarterly basis.
- 4. CSR Committee and the Board shall monitor the CSR expenses on quarterly



basis.

- 5. The Board of Directors shall review the progress of CSR activities at least annually.
- 6. In case of ongoing project, the Board of a Company shall monitor the implementation of the project with reference to the approved timelines and year-wise allocation.
- 7. Impact Assessment: All projects having outlay of Rupees One Crore or more and which have been completed in financial year preceding the immediate financial year shall be subject to an Impact Assessment by an Independent Agency.
- 8. The report of the Impact Assessment shall be placed before the Board and also be annexed to the CSR Report.
- 9. Impact Assessment as per Rule 8(3) of Company's (CSR) Rules 2014, as under, as and when applicable, would be complied by the Company:
 - Every Company having average CSR obligation of ten crore rupees or more in pursuance of subsection (5) of Section 135 of the Act, in the three immediately preceding Financial years, shall undertake impact assessment through an Independent Agency, of their CSR Projects having outlays of one crore rupees or more and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study.
 - The impact assessment reports shall be placed before the Board and shall be annexed to the annual report on CSR.
 - A Company undertaking impact assessment may book the expenditure towards Corporate Social Responsibility for that financial year, which shall not exceed five percent of the total CSR expenditure for that financial year or fifty lakh rupees, whichever is less.

IX. Disclosure

The Board's Report of the company shall include an annual report on CSR, containing particulars specified in Annexure II of the Company's (CSR) Rules,2014 as amended from time to time

X. Corporate Social Responsibility Activities

The New India Assurance's primary focus areas for CSR activities are:

- 1. Health care promotion including preventive healthcare
- 2. Eradicating poverty, hunger and malnutrition
- 3. Promotion of clean and green energy, hygiene and sanitation and safe drinking water
- 4. Livelihood enhancement and employment generation of economically backward classes including women, children, differently abled and elderly persons.
- 5. Imparting education and skill development including vocational skills to the



- economically and socially backward classes of people for their employment generation.
- 6. Projects taken towards protection of environment protection including soil, air and water and conservation of flora and fauna
- 7. Protection of national heritage and promotion of traditional arts, handicrafts etc
- 8. Training to promote rural sports, nationally recognized sports, paralympic sports and olympic sports
- 9. Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents
- 10. Rural development projects
- 11. Development of Slum Area (the term `slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force)
- 12. Disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.
- 13. Contribution to the prime minister's national relief fund 8[or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund)] or any other fund set up by the central govt. for socio economic development and relief and welfare of the schedule caste, tribes, other backward classes, minorities and women;
- 14. Contribution to incubators or research and development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government;
- 15. Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organization (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs); and
- 16. Any such matters that shall be prescribed from time to time

The following will not be included in a CSR policy:

- 1. Activities that benefit only the employees of the Company and their families;
- 2. Activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company;
- 3. Activities undertaken outside India;
- 4. Contribution of any amount, directly or indirectly, to any political party under



Sec. 182 of the Act;

- 5. One-off events such as marathons / awards / charitable contributions / advertisement / sponsorships of TV Programmes;
- 6. Expenses incurred by Companies for fulfillment of any other Act / Statute of regulations (such as Labour Laws, Land Acquisition Act, 2013, Apprentice Act, 1961, etc.)
- 7. Any other matter as specified by MCA to be excluded from CSR activity shall also not be a part of CSR activity.

The "Standard Operating Procedure (SOP) for implementation of CSR in The New India Assurance Company Limited" is attached in the given link:

https://www.newindia.co.in/cms/96b89200-46c0-4a66-83c3-966c427bb3f4/Standard%20Operating%20Procedures(SOP).pdf?guest=true